



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 10 जून, 2026

ज्येष्ठ 20, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या 579/27-1-2026-50/85 टी0सी0

लखनऊ, 10 जून, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-40

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क") नियमावली, 1990 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क")

(सप्तम संशोधन) नियमावली, 2026

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क") (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(दो) नियम 5 के उपनियम (चार) का संशोधन 1 जुलाई, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और परन्तुक का संशोधन 27 सितम्बर, 1990 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह "क") नियमावली, 1990 में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान उपनियम (चार) और परन्तुक के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया उपनियम व परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात:- नियम 5 का संशोधन

स्तम्भ—एक

(विद्यमान उपनियम और परन्तुक)

5(चार)—मुख्य अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक (स्तर—एक):— यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य अभियन्ताओं (स्तर—दो), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सत्ताइस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यदि दोनों में से किसी भी शाखा में मुख्य अभियन्ता (स्तर—एक) उपलब्ध न हों या पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाये जायें तो प्रमुख अभियन्ता के पदों को सम्बन्धित शाखा के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ताओं (स्तर—दो) में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

स्तम्भ—दो

(एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम और परन्तुक)

5(चार)—मुख्य अभियन्ता, सिविल या यांत्रिक (स्तर—एक):— यथास्थिति, सिविल या यांत्रिक शाखा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य अभियन्ताओं (स्तर—दो), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पच्चीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यदि दोनों में से किसी भी शाखा में मुख्य अभियन्ता (स्तर—एक) उपलब्ध न हों या पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाये जायें तो प्रमुख अभियन्ता के पदों को भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सम्बन्धित शाखा के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ताओं (स्तर—दो) में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है:

परन्तु यह और कि उपनियम 5 (दो), 5 (तीन) एवं 5 (चार) के अधीन गणना की जाने वाली अर्हकारी सेवा में सहायक अभियन्ता एवं उच्चतर पदों पर केवल सारभूत रूप से की गई सेवा अवधि को ही सम्मिलित किया जायेगा। तदर्थ/स्थानापन्न/कार्य प्रभारित/दैनिक वेतन/नियत मानदेय इत्यादि के रूप में की गई सेवा की गणना इस प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
अनिल गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 579/XXVII-1-2026-50/85 T.C., dated June 10, 2026:

No. 579/XXVII-1-2026-50/85 T.C.

Dated Lucknow, June 10, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A") Rules, 1990:

**THE UTTAR PRADESH SERVICE OF ENGINEERS (IRRIGATION DEPARTMENT)
(GROUP "A") (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2026**

Short title and
Commencement

1.(1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A") (Seventh Amendment) Rules, 2026.

(2) The amendment of Sub-rule (iv) of Rule 5 shall be deemed to have come into force with effect from July 1, 2025 and amendment of Proviso shall be deemed to have come into force with effect from September 27, 1990.

Amendment of
Rule 5

2. In the Uttar Pradesh Service of Engineers (Irrigation Department) (Group "A") Rules, 1990, in Rule 5, for existing Sub-rule (iv) and proviso set out in Column-I below, the Sub-rule and proviso as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I*(Existing Sub-rule and proviso)*

5 (iv)- Chief Engineer, Civil or Mechanical- Level-I :- By promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineers (Level-II) in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed twenty-seven years service, on the first day of the year of recruitment:

Provided that in case Chief Engineer (Level-I) in either branch is not available or is not found suitable for promotion, the posts of Engineer-in-Chief may be filled by promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineers (Level-II) of the respective branch.

COLUMN-II*(Sub-rule and proviso as hereby substituted)*

5 (iv)- Chief Engineer, Civil or Mechanical- Level-I :- By promotion from amongst the substantively appointed Chief Engineers (Level-II) in the Civil or Mechanical Branch, as the case may be, who have completed twenty-five years service, on the first day of the year of recruitment:

Provided that in case Chief Engineer (Level-I) in either branch is not available or is not found suitable for promotion, the posts of Engineer-in-Chief may be filled by promotion from amongst substantively appointed Chief Engineers (Level-II) of the respective branch on the first day of year of recruitment:

Provided further that the qualifying service to be calculated under Sub rules 5(ii), 5(iii) and 5(iv) shall include only the period of substantial service rendered on the post of Assistant Engineer and higher posts. Service rendered as *Ad-hoc/officiating/work in charged /daily wages/fixed honorarium etc.* will not be calculated for this purpose.

By order,
ANIL GARG,
Pramukh Sachiv.